

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईक्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संगरिया अधिकाारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 121/2019

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. जसवन्त पुत्र श्री रामनारायण जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
2. जगदीश पुत्र श्री रामनारायण जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
3. कुलदीप पुत्र श्री रामनारायण जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

-वादीगण

बनाम

1. प्रमोद पुत्र रामलाल
2. किरणा पत्नी हरीराम
3. रवि पुत्र हरिराम
4. अनीश पुत्र हरिराम
5. रामकुमार पुत्र ख्यालीराम
6. रामकुमार पुत्र ख्यालीराम
7. ओमप्रकाश पुत्र मेहरचन्द
8. बृजलाल पुत्र मेहरचन्द
9. वेदप्रकाश पुत्र मेहरचन्द
10. मन्तीदेवी पत्नी प्रेमकुमार
11. चन्द्रभान पुत्र प्रेमकुमार
12. सुनील पुत्र प्रेमकुमार
13. महेन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल
14. अजीत कुमार पुत्र सोहन लाल
15. प्रबन्धन कुमार पुत्र अजीत कुमार
16. मनजीत कौर पत्नी मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
17. मेजर सिंह दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
18. मनजीत कौर पत्नी बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
19. मेजर सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
20. बलतेज सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
21. स्वर्णजीत कौर
22. रमनदीप कौर पि. मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
23. देवेन्द्र सिंह
24. शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा ढाबा।
25. केनरा बैंक शाखा संगरिया।
26. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

जाति नाई निवासी ढाबा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

डिक्री

-प्रतिवादीगण  
दिनांक :- 9.10.2019

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हारे बहाजरी श्री बलवीर सिहाग वकील वादी मिन जागिन मुदई श्री प्रवीण बेरड प्रति. संख्या 1, 21 व रविन्द्र भोबिया प्रति.सं. 22 श्री हनुमन्त चौधरी प्रतिवादी संख्या 24 श्री संजय साहेवाल प्रति.सं. 25 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 2 बीजीपी

1. महेन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल जाति जाट निवासी ढाबा

पत्थर नम्बर	मुख्या नम्बर	किला नम्बर
211/148	60	21/1/0.215 है. नहरी 2/2/0.038

2. जगदीश, कुलदीप पि. रामनारायण बहिब जाति नाई सा. ढाबा जगदीश राहिन 0.331 हि.एसबीआई

पत्थर नम्बर	मुख्या नम्बर	किला नम्बर
213/147	54	21,22,23,24/1.012

जसवन्त पुत्र राम नारायण जाति नाई निवासी ढाबा

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
213/148	58	4/1/1/0.043, 4/2/1/0.008, 7/1/0.083

कर्मजीत कौर पत्नी मलकीत हिस्स 0.190 हि.राहिन एसबीआई ढाबा, बलतेज सिंह पुत्र दरबारा सिंह 0.633 हि. राहिन एसबीआई ढाबा मेजर सिंह पुत्र दरबारा सिंह 0.253 हि. मनजीतकौर पत्नी बलतेज सिंह 0.190 हि. राहिन एस.बी.आई. ढाबा मलकीत सिंह पुत्र दरबारा सिंह 0.885 हि. राहिन एसबीआई ढाबा जाति जटसिख निवासी ढाबा प्रमोद पुत्र रामलाल 0.578 हि. राहिन कैनरा बैंक शाखा संगरिया 0.540 हि. अनिश, रवि पि. हरीराम, किरणा देवी पत्नी हरिराम बहिब 0.578 हि. रामकुमार पुत्र ख्यालीराम 1.783 हि.ओमप्रकाश, बृजलाल, वेदप्रकाश पि. मेहरचन्द बहिब 2.466 हि. राहिन एसबीआई शाखा ढाबा मुन्नी देवी पत्नी प्रेम कुमार चन्द्रभान सुनील कुमार पि.प्रेम कुमार बहिब 0.823 हि.राहिन एसबीआई शाखा ढाबा अजीत कुमार पुत्र सोहन लाल 0.240 हि. पवन कुमार पुत्र अजीत कुमार 0.506 हि. जाति जाट सा.ढाबा

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
212/148	59	3/1/0.215 3/2/0.038, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.190, 5/2/0.038, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14/2.024, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17,18,19,23,24/1.265,
213/147	54	18,19./0.506
213/148	58	1/1/0.215, 1/2/0.038, 2/1/0.215, 2/2/0.038, 3/1/0.215, 3/2/0.038, 4/1/1/0.097, 4/1/2/0.075, 4/2/1/0.017, 4/2/2/0.013, 5/1/0.215, 5/2/0.038, 6/0.152, 7/1/0.114, 7/2/0.056, 8,9,10,11,12/1.265, 13/0.240, 14/0.089, 18/0.025, 19/0.164, 20/0.253,
212/147	53	25/1/0.215, 25/3/0.038

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंशा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उप तहसीलदार भू.अ. ढाबा के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/220 दिनांक 04.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दि या जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.10.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

HC

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया